रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216125
CG-DL-E-13022020-216125

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941
No. 604] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

का.आ.663(अ).—केंद्रीय सरकार, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2020 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदन" से अधिनियम की धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है ;

(ग) "प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन अभिहित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ; और

(ङ) "अभिहित न्यायालय" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित कोई अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में है ।

3. विचार किए जाने वाली सूचना और विशिष्टियां—ऐसी सूचना और विशिष्टियों में, जिन पर सक्षम प्राधिकारी, निक्षेप लेने वाले की संपत्ति को अनन्तिम रूप से कुर्क करने के लिए विचार करेगा, निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :--

(क) अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत कि क्या शिकायतकर्ता, उक्त अविनियमित निक्षेप संपत्ति में निक्षेपकर्ता है या नहीं ;

(ख) अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रवर्धन के संबंध में केंद्रीय सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या ऐसी सरकारों के प्रभार के अधीन किसी विधि प्रवर्तन प्राधिकारी या अभिकरण या निकाय से प्राप्त कोई सूचना ;

(ग) किसी विज्ञापन की सूचना, चाहे मुद्रित हो या इलैक्ट्रानिक मीडिया वाली या दोनों, जिसके अंतर्गत किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम विनिधान करने वाला या उसका सदस्य या भागीदार कोई अन्य व्यक्ति भी है ; और

(घ) कोई ऐसी अन्य सूचना, जो सक्षम प्राधिकारी के पास है कि निक्षेप लेने वाले ने अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में निक्षेपों की याचना की है या उन्हें स्वीकार किया है ।

4. अनन्तिम कुर्की की रीति और अनन्तिम रूप से कुर्क संपत्ति का प्रशासन— (1) अनन्तिम कुर्की के आदेश की प्रति की तामील संपत्ति के स्वामी या किसी ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी, जिसने संपत्ति पर काबिज होने का दावा किया है या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी, जिसका उक्त संपत्ति में कोई हित है ।

(2) अनन्तिम कुर्की का आदेश ऐसे क्षेत्र या अधिकारिता में, जिसमें निक्षेप लेने वाला अवस्थित है, व्यापक रूप से परिचालित प्रमुख समाचार पत्र में (देशी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अनन्तिम कुर्की के आदेश की तामील करने में समर्थ नहीं होता है, वहां उपनियम (2) के अधीन उपबंधित रीति में आदेश के प्रकाशन द्वारा आदेश की तामील समझी जाएगी ।

(4) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी स्थावर संपत्ति के सहजदृश्य स्थान पर अनन्तिम कुर्की के आदेश को चिपकाकर स्थावर संपत्ति का कब्जा लेगा ।

(5) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति कोई जंगम संपत्ति है, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी संपत्ति का वास्तविक कब्जा लेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में प्रतिधारित करेगा ।

(6) सक्षम प्राधिकारी, अनन्तिम रूप से कुर्क संपत्ति के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा, जिसमें संपत्ति के प्रबंध से उपगत किसी व्यय या उसकी लागत के ब्यौरे और संपत्ति से प्राप्त किसी आय के ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।

IndiaCode

(7) सक्षम प्राधिकारी, निक्षेप लेने वाले की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण करेगा और ऐसे निक्षेपकर्ताओं के, जिनसे निक्षेप लेने वाने ने अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों का संग्रहण किया है, संपूर्ण अभिलेख को तैयार करेगा ।

(8) सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (7) के अधीन निक्षेप लेने वाले की आस्तियों और दायित्वों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकक की नियुक्ति कर सकेगा ।

(9) जहां कोई ऐसी संपत्ति, जिसका कब्जा लिया गया है, विनश्वर प्रकृति की है, वहां सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकर्ताओं के उत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उसका विक्रय कर सकेगा ।

(10) सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उपनियम (9) के अधीन विक्रय के ब्यौरे और आगमों को उपनियम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अभिलेख में पृथक् रूप से प्रविष्ट और अनुरक्षित किया जाएगा ।

5. अभिलेखों का परिबद्धकरण और प्रतिधारण—(1) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (8) के अधीन अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और समय पर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त नियत करे, उसकी प्रतियां बना सकेगा या उससे उद्धरण ले सकेगा ।

(2) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे अभिलेख को, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना तीन मास तक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रखेगा और यदि अभिलेख को उक्त अवधि के पश्चात् अवधारित करना आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अभिलेख परिबद्ध किए गए हैं, अभिलेखों के परिबद्ध किए जाने के किसी कारण को आक्षेपित करता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे आक्षेप के कारणों को बताते हुए एक आवेदन कर सकेगा और सक्षम प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ।

(4) अधिकारी परिबद्ध किए गए अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा और उसकी अभिरक्षा प्रतिधारित करेगा ।

6. केंद्रीय डाटाबेस—(1) प्राधिकारी, किसी विनियामक या सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्य इकाई या व्यक्ति से, भारत में निक्षेप लेने वालों से संबंधित उसके कब्जे में की सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) अभिहित प्राधिकारी, निक्षेप लेने वालों से संबंधित सूचना अंतर्विष्ट करते हुए, जनसाधारण के पहुंच योग्य एक पोर्टल का प्रचालन करेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :--

(i) भारत में प्रचालन करने वाले निक्षेप लेने वालों की सूची, उनके प्रचालन का विस्तार और क्षेत्र ;

(ii) निक्षेपों के संग्रहण के लिए किसी निक्षेप लेने वालों के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन की गई कोई कार्रवाई ; और

(iii) अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन निक्षेपकर्ताओं को वापस किए जाने संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित नवीनतम जानकारी ।

7. प्रज्ञापना का प्ररूप और रीति—(1) कारबार प्रारंभ करने वाला प्रत्येक निक्षेप लेने वाला, कारबार के प्रारंभ से तीस दिन की अवधि के भीतर नियम 6 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में एक सूचना प्रस्तुत करेगा ।

(2) उक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किन्हीं विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में, निक्षेप लेने वाला परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे परिवर्तन की सूचना प्राधिकारी को देगा ।

8. अनन्तिम कुर्की की पुष्टि के लिए आवेदन—सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित विशिष्टियों को समाविष्ट करते हुए पूर्ण अनन्तिम कुर्की करने के लिए अभिहित नयायालय के समक्ष आवेदन फाइल करेगा, अर्थात् :--

(क) कुर्क की गई संपत्ति, धनराशि या निक्षेपों की पूरी सूची ;

(ख) स्थावर संपत्ति की दशा में, संपत्ति का स्वामी/के स्वामियों, किसी व्यक्ति, जो संपत्ति में काबिज होने का दावा करता है और किसी अन्य व्यक्ति, जिसका उक्त संपत्ति में कोई हित है, का/के नाम और ब्यौरे;

(ग) नियम 4 के उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अनन्तिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति और नियम 4 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो, का अभिलेख ;

(घ) निक्षेपकर्ताओं की सूची, जिनसे निक्षेप लेने वाले ने निक्षेपों का प्रतिग्रहण या संग्रहण किया है ; और

(ङ) निक्षेपकर्ताओं को देय शोध्यों की सूची, जिसके अंतर्गत ऐसी रकम भी है, जो निक्षेप लेने वाले की कुर्क संपत्ति के विक्रय से वूसल की जा सकेगी ।

9. अभिहित न्यायालय द्वारा अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया—(1) अभिहित न्यायालय, अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया द्वारा मार्गदर्शित होगा ।

(2) अभिहित न्यायालय,--

(क) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जारी कारण बताओ सूचना के आक्षेपों पर विचार करेगा ;

(ख) व्यथित व्यक्ति और सक्षम प्राधिकारी या इन पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की सुनवाई करेगा ; और

(ग) उसके समक्ष अभिलेख पर रखी गई सभी सुसंगत सामग्रियों पर विचार करेगा ।

10. तलाशी और अभिग्रहण का प्राधिकार—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी निम्नलिखित की तलाशी के लिए लिखित प्राधिकार दे सकेगा, अर्थात् :--

(क) कोई अभिलेख, चाहे भौतिक हो या इलैक्ट्रानिक, जिसका अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के संबंध में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाना आशयित है या उपयोग किए जाने का संदेह है ;

(ख) अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में अनुरक्षित कोई लेखा पुस्तिका ;

(ग) अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के संबंध में अर्जित किया गया या अर्जित किए जाने के लिए आशंकित कोई निक्षेप ;

(घ) किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम के संवर्धन या प्रचालन के संबंध में अनुरक्षित किया गया या अनुरक्षित किए जाने के लिए आशंकित कोई निक्षेप ;

(ङ) किसी संपत्ति, चाहे जंगम हो या स्थावर, का अभिलेख निक्षेप लेने वाले के नाम में या निक्षेप लेने वाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम में अर्जित की गई हो, जिसके अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में अर्जन किए जाने की आशंका हो ;

(च) किसी बैंक या वित्तीय या बाजार स्थापन के किसी खाते का अभिलेख, जिसके अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में उपयोग किए जाने की आशंका हो ; और

IndiaCode

(छ) कोई अन्य बात, जिसका अविनियमित निक्षेप स्कीम के संबंध में उपयोग किए जाने की आशंका हो ।

11. विज्ञापन का निर्बंधन—(1) समुचित सरकार, किसी समाचार पत्र या किसी भी प्रकृति के अन्य प्रकाशन के स्वामी को, चाहे मुद्रित हो या इलैक्ट्रानिक, किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम को, पूर्ण और उचित वापस लिए जाने, उसके किसी प्रस्ताव को सुस्पष्ट वापस लिए जाने, किसी विज्ञापन में पहले किए गए संवर्धन या प्रलोभन को, उसका सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कथन या सूचना के प्रकाशन का निदेश देगा ।

(2) वापस लिया जाना, मूल विज्ञापन, कथन या सूचना के समान सुस्पष्ट होगा और ऐसे रूप विधान और फौन्ट में होगा, जिसे किसी पाठक या प्राप्तिकर्ता का ध्यान तुरंत उस ओर आकृष्ट हो जाए ।

(3) वापस लिया जाना, समुचित सरकार के निदेश की तारीख से दो दिन के भीतर नि:शुल्क प्रकाशित किया जाएगा ।

(4) यदि समुचित सरकार का यह विचार है कि प्रकाशित किया गया वापस लिया जाना, समाचार पत्र या ऐसे अन्य प्रकाशन के पाठको का ध्यान पर्याप्त रूप से आकृष्ट नहीं कर पा रहा है तो सरकार, वापस लिए जाने के पुन: प्रकाशन का निदेश दे सकेगी ।

[फा. सं. 6/7/2019-बीओ. II]

डॉ. मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

IndiaCode

प्ररूप

(नियम 7 देखिए)

प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां

1.	निक्षेप लेने वाले का नाम
2.	निक्षेप लेने वाले का रजिस्ट्रीकृत पता
3.	निक्षेप लेने वाले की शाखाओं का पता (यदि कोई हो)
4.	लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/निगमन की विशिष्ट पहचान सं.
5.	निक्षेप लेने वाला प्राधिकारी
6.	निक्षेप लेने वाले के प्रबंध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम और पता (सीईओ और निदेशक/भागीदार, स्वत्वधारी/बोर्ड) :
7.	निक्षेप लेने वाले का स्थायी खाता संख्या

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास में सही है और उसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

तारीख :

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

S.O. 663 (E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (21 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2020.

 (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.–** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

 a) "Act" means the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (21 of 2019);

 b) "application" means an application filed by the Competent Authority under section 14 of the Act;

 c) "authority" means the authority designated under section 9 of the Act;

 d) "Competent Authority" means an authority appointed by the appropriate Government under section 7 of the Act; and

 e) "Designated Court" means a Designated Court constituted by the appropriate Government under section 8 of the Act.

 (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Information and particulars to be considered.–** The information and particulars which the Competent Authority shall consider for provisionally attaching the property of the deposit taker shall include, namely:–

 (a) any complaint against the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme, whether the complainant is a depositor in the said Unregulated Deposit Scheme or not;

 (b) any information received from the Central Government, or any State Governments or Union territory Administrations, or any law enforcement authority or agency or body under the charge of such Governments or Administrations, regarding the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;

 (c) information of any advertisement, whether in print or electronic media or both, inducing another person to invest in, or become a member or participant of any Unregulated Deposit Scheme; and

 (d) any other information that the Competent Authority has, that a deposit taker is soliciting or accepting deposits in contravention of the provisions of the Act.

4. **Manner of provisional attachment and administration of provisionally attached property.–** (1) A copy of the order of provisional attachment shall be served on the owner of the property, or any person who claims to be in possession of the property or any other person who has an interest in the said property.

 (2) The order of provisional attachment shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction in which the deposit taker is located.

 (3) Where the Competent Authority is not able to serve the order of provisional attachment to a person specified in sub-rule (1), then such person shall be deemed to be served the order by the publication of the order in the manner provided under sub-rule (2).

 (4) The Competent Authority shall take possession of the immoveable property by affixing the order of provisional attachment at a conspicuous place of such immoveable property.

 (5) Where the property to be attached is a moveable property, the Competent Authority shall take actual physical possession of such property and retain it in his custody or the custody of any other officer appointed to assist him.

IndiaCode

(6) The Competent Authority shall maintain a record of the property provisionally attached which shall include details of any expenditure incurred or any costs of management of the property and of any income received from the property.

(7) The Competent Authority shall assess the assets and the liabilities of the deposit taker and prepare a complete record of depositors from whom the deposit taker has collected deposits pursuant to an Unregulated Deposit Scheme.

(8) The Competent Authority may appoint a valuer for the purposes of assessing the assets and liabilities of the deposit taker under sub-rule (7).

(9) Where any property of which possession has been taken is of a perishable nature, the Competent Authority may sell the same keeping in mind the best interest of the depositors.

(10) The details and proceeds of the sale under sub-rule (9) shall be entered separately by the Competent Authority and maintained in the record as specified in sub-rule (6).

5. Impounding and retention of records.– (1) The person from whose custody records are impounded under sub-section (8) of section 7 of the Act may make copies thereof, or take extracts therefrom, in the presence of an officer authorised by the Competent Authority, at such place and time as the Competent Authority may appoint in this behalf.

(2) The officer appointed under sub-section (2) of section 7 shall retain such records in his custody without taking approval from the Competent Authority for a period upto three months, and if the records are necessary to be retained beyond the said period, approval of the Competent Authority shall be required.

(3) If the person from whose custody records are impounded objects for any reason to the records being impounded, he may make an application to the Competent Authority stating therein the reasons for such objection and requesting for the return of the records, and the Competent Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such orders as he thinks fit.

(4) The officer shall ensure the safe custody of the records impounded and retained in his custody.

6. Central Database.– (1) The authority may require any Regulator or the Competent Authority or any other entity or person to submit to it any information in its possession relating to deposit takers in India.

(2) The designated authority shall operate a portal accessible to the public, containing information relating to deposit takers, which shall include the following, namely:–

(i) list of deposit takers operating in India, the extent and areas of their operation;

(ii) any action taken under any law for the time being in force against any deposit taker for collection of deposits; and

(iii) updates regarding proceedings for restitution of depositors under Chapter V of the Act.

7. Form and manner of intimation.– (1) Every deposit taker commencing business shall submit an intimation in the Form annexed to these rules to the authority specified in sub-rule (1) of rule 6, within a period of thirty days from the commencement of the business.

(2) In case of any change in any particulars submitted to the said authority, the deposit taker shall intimate the authority of such change within a period of thirty days from the date of the change.

8. Application for confirmation of provisional attachment.– The Competent Authority shall file an application before the Designated Court for making the provisional attachment absolute, containing the following particulars, namely:–

(a) a complete list of the property, money or deposits attached;

(b) in case of immoveable property, the name or names and particulars of the owner of the property, any person who claims to be in possession of the property, and any other person who has an interest in the said property;

(c) the record of the provisionally attached property specified in sub-rule (6) of rule 4 and the valuation report, if any, specified in sub-rule (8) of rule 4;

(d) a list of the depositors from whom the deposit taker has accepted or collected deposits; and

(e) a list of dues owed to depositors including amounts that may be realised from sale of any attached property of the deposit taker.

9. Procedure to be adopted by Designated Court.– (1) The Designated Court may regulate its own procedure and shall be guided by the principles of natural justice and the procedure contained in the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) The Designated Court shall,–

(a) consider the objections to the show cause notice issued under sub-section (1) or sub-section (2) of section 15 of the Act;

(b) hear the aggrieved person and the Competent Authority or advocates representing these parties; and

(c) take into account all relevant materials placed on record before it.

10. Authorisation for search and seizure.– For the purpose of an investigation into any offence under the Act, the officer-in-charge of a police station may, with the written authorisation, search for the following, namely:–

(a) any record, whether physical or electronic, which is used, intended to be used, or suspected to be used, in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;

(b) any books of account maintained in connection with an Unregulated Deposit Scheme;

(c) any deposits acquired or suspected to be acquired in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;

(d) any valuable securities maintained or suspected to be maintained in connection with the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme;

(e) record of any property, whether movable or immovable, acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, which is suspected to be acquired in connection with an Unregulated Deposit Scheme;

(f) record of any account with a bank or financial or market establishment, which is suspected to be used in connection with an Unregulated Deposit Scheme; and

(g) any other thing which is suspected to be used in connection with an Unregulated Deposit Scheme.

11. Retraction of advertisement.– (1) The appropriate Government shall direct the owner of any newspaper or other publication of any nature either in print or in electronic form, to publish a full and fair retraction, unequivocally withdrawing any offer, promotion or inducement made earlier in any advertisement, statement or information to any person to become a member of any Unregulated Deposit Scheme.

(2) The retraction shall be as prominent as the original advertisement, statement or information and be in such a format and font that immediately catches the attention of any reader or recipient.

(3) The retraction shall be published free of cost within two days from the date of the direction of the appropriate Government.

(4) Where the appropriate Government is of the view that the retraction published has not sufficiently engaged the attention of the readers of the newspaper or such other publication, that Government may direct re-publication of the retraction.

[F.No.6/7/2019-BO.II]

Dr. MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

IndiaCode

FORM

(*See rule 7*)

INTIMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITY

1.	Name of deposit taker.
2.	Registered address of the deposit taker.
3.	Address of branches of the deposit taker (if any).
4.	Unique Identification No. of Registration / Incorporation under applicable law.
5.	Authority to carry on deposit taking.
6.	Name and address of persons responsible for the management of the deposit taker (CEO and Directors/ Partners, Proprietors / Board).
7.	PAN number of the deposit taker.

I solemnly affirm to the best of my knowledge and belief, that the information given in this Form is correct, and that nothing material has been concealed therefrom.

IndiaCode

Date: Authorised Signatory

Place:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.13 14:58:30 +05'30'